राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग,
महात्मा गांधी नरेगा (ग्रुप–3), सचिवालय, जयपुर
(Phone : 0141-2227956, 2227170 E-mail: pdre_rdd@yahoo.com)

कमांकः एफ 40(25) ग्रावि/नरेगा/NGO/2020/पार्ट–3 02724 जयपुर, दिनांकः 10 MAY 2023

अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिला परिषद, समस्त।

विषय :– विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र से प्रमाणन प्राप्त करने बाबत्।

प्रसंग :– मुख्य सचिव महोदया, राजस्थान सरकार का पत्र दिनांक 17.04.2023।

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रासंगिक पत्र द्वारा राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों में कार्य कर रहे विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र से प्रमाणन प्राप्त करने हेतु निर्देशित करने तथा भविष्य में स्वैच्छिक संगठनों का चयन स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रमाणशुदा संगठनों में से किये जाने हेतु निर्देशित किया है। प्रासंगिक पत्र की प्रति नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु संलग्न कर भिजवाई जा रही है।

संलग्न :– उपरोक्तानुसार।

(अरविन्द सक्सैना)
अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है –

1. जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं जिला कलक्टर, समस्त।
2. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस, जिला परिषद, समस्त।

अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस

Signature valid
Digitally signed by Arvind Saxena
Designation : Superintending Engineer
Date: 2023.05.08 18:47:15 IST
Reason: Approved

RajKaj Ref No. : 3793406

CamScanner

I.D. No. 1559 Secy/RD/2021
Date 18/04/23

3017
17/4/23

I.D. No. Secy/RD/2021
Date

राजस्थान सरकार
स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र
योजना भवन, जयपुर

क्रमांकः प. 2(18)आयो./ग्रुप–2/2023/1180 जयपुर दिनांकः 17.04.2023

परिपत्र

राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2010 में स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति जारी की गई थी। नीति का मुख्य उद्देश्य सरकार की नीतियों एवं कार्यक्रमों को जनता, विशेष रूप से वंचित वर्ग की आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं के अनुरूप और अधिक प्रगतिशील एवं उत्तरदायी बनाने में सहयोग करना तथा राज्य के विकास में स्वैच्छिक संगठनों के सहयोग हेतु सहायक वातावरण उत्पन्न करना है। इस नीति के अंतर्गत स्वैच्छिक संस्थाओं व सरकार के मध्य साझेदारी विकसित कने के लिये एक स्वतंत्र संगठन के तौर पर स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र की स्थापना की गई है। इस केन्द्र के द्वारा स्वैच्छिक संगठनों में पारदर्शिता, जबावदेही एवं सुशासन को बढ़ावा देने हेतु उनके प्रमाणन की प्रक्रिया निर्धारित की गयी है। स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति में स्पष्ट प्रावधान किया गया है कि स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा तैयार एवं क्षेत्र विशेष हेतु मान्यता प्राप्त स्वैच्छिक संगठनों की सूची में से ही राज्य सरकार के इच्छुक विभागों द्वारा कार्य सौंपा जायेगा। नीति में स्वैच्छिक संगठनों के विभाग स्तर पर चयन की प्रक्रिया भी निर्धारित की गयी है।

वर्तमान में राज्य सरकार के विभिन्न विभागों द्वारा योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन स्वैच्छिक संस्थाओं के माध्यम से करवाया जा रहा है। अतः राज्य सरकार के विभिन्न विभाग अपने अंतर्गत वर्तमान में कार्य कर रहे विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों को स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र से प्रमाणन प्राप्त करने हेतु निर्देशित करें एवं भविष्य में स्वैच्छिक संगठनों का चयन स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति में दिये गये प्रावधानों के अनुसार प्रमाणनशुदा संगठनों में से किया जायें। स्वैच्छिक क्षेत्र संबंधी नीति एवं स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र द्वारा निर्धारित प्रमाणन की प्रक्रिया स्वैच्छिक क्षेत्र विकास केन्द्र विभाग की वेबसाईट www.vsdc.rajasthan.gov.in पर उपलब्ध है।

(उषा शर्मा)
मुख्य सचिव

अति. मुख्य सचिव/प्र शासन सचिव/शासन सचिव

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग

Signature valid
Digitally signed by Usha Sharma
Designation: Chief Secretary
Date: 2023.04.12 ..:56:15 IST
Reason: Approved

1920
20/04/23

SPR
Comm. EGS
PD (M&E)
PD (A) RGAVP

R.No. 1710 /EGS/
Date 20/4/2023

Ex-En. EGS (T)
21/4/2023

SE, EGS
24.04.23

XEN (N)
26/4

AEn (U)
26.4.23

Sh. Jitendra
26.4.23